



-प्रेस नोट-

दिनांक 17.12.2025

थाना सरसावा पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमें में फरार चल रहे 02 वांछित गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 12 बोर, गोकशी के उपकरण व घटना में प्रयुक्त एक छोटा हाथी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गौकशी/लूट/चोरी/नकबजनी/छिन्नेती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.12.2025 की रात्रि में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा ग्राम पिलखनी से रजवाहा पटरी भाऊपुर जाने वाले रास्ते/चकरोड से 02 वांछित गौकश अभियुक्तगण 1. नसीम पुत्र यामीन निवासी सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर व 2. बोबी पुत्र दिलीप सिंह निवासी भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर, 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस, गोकशी के उपकरण व घटना में प्रयुक्त 01 छोटा हाथी बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0स0 540/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 541/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नसीम पुत्र यामीन निवासी सौराना थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. बोबी पुत्र दिलीप सिंह निवासी भोजपुर गुर्जर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 तमंचा 12 बोर
- 01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 12 बोर
- 01 छोटा हाथी UP 11 T 8293 घटना में प्रयुक्त
- गोकशी के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 01 छुरी, 01 दांव, 01 लकड़ी का गुटका, 02 रस्सी के टुकड़े इस्तेमाली)

अभियुक्त नसीम उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 540/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सरसावा
2. मु0अ0स0 541/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा

अभियुक्त बोबी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 540/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना सरसावा
2. मु0अ0स0 541/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सरसावा सहारनपुर।
3. हैका0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा सहारनपुर।
4. हैका0 845 तेजिंदर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
5. हैका0 1134 संदीप कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
6. हैका0 1011 नरेन्द्र कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।



दिनांक: 16.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़, NDPS Act के मुकदमे में 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह/कारतूस व 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 16.12.2025 की रात्रि को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गंगोह रोड पर बिजलीघर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग की जा रही थी, तभी गंगोह रोड की तरफ से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखायी दिया, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध ने हडबड़ी में मोटरसाइकिल मोड़कर अम्बेहटा की तरफ जाने वाली रोड पर भागने लगा, पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी, पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और जंगल की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **रब्बानी पुत्र महबूब निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश **थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0स0 382/25 धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था**, जिसके विरुद्ध थाना नकुड़ पर एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में लगभग आधा दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0स0-588/25 धारा 109(1)/317(5) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रब्बानी पुत्र महबूब निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल

अभियुक्त रब्बानी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 447/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़, स0पुर
2. मु0अ0सं0 4/25 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नकुड़, स0पुर
3. मु0अ0सं0 119/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड़, स0पुर

4. मु0अ0सं0 382/25 धारा 8/20/29 एनडपीएस थाना नकुड,स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड, सहारनपुर
3. है0का0 892 अजय राठी थाना नकुड, सहारनपुर
4. है0का0 258 अजीत मलिक थाना नकुड, सहारनपुर
5. है0का0 650 वरणकार थाना नकुड, सहारनपुर
6. का0 1259 विनीत तोमर थाना नकुड, सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2025

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिन्नेती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 16/17.12.2025 की रात्रि को दिनांक 16.11.2025 को समय करीब 19.00 बजे थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में फरार बदमाश की तलाश हेतु चौकी प्रभारी कस्बा गागलहेड़ी मय पुलिस फोर्स अपनी प्राइवेट गाड़ी से ग्राम हरोड़ा से ग्राम पाली जाने वाली रोड़ पर गस्त कर रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने प्राइवेट गाड़ी को देखकर रुकने का इशारा किया गया। जैसे ही पुलिस टीम ने कार रोककर व्यक्ति से पूछताछ करने के लिये उतरे तो व्यक्ति ने पुलिस को देखकर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **खालिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी तारारी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ** के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 401/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. के मुकदमें में वांछित चल रहा था, गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्थ अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ व सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में करीब डेढ़ दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 402/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता:-

खालिद पुत्र अलाउद्दीन निवासी तारारी थाना लिसाडीगेट जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण –

01 देशी तमन्चा 315 बोर

02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अभियुक्त खालिद उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 143/18 धारा 323/324/506 भादवि चालानी थाना ब्रहमपुरी मेरठ
2. मु0अ0सं0 84/23 धारा 34/379 भादवि चालानी थाना सदर बाजार मेरठ
3. मु0अ0सं0 184/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना सदर बाजार मेरठ
4. मु0अ0सं0 183/04 चालानी थाना लोनी गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 186/24 चालानी थाना लोनी गाजियाबाद

- 6.मु0अ0सं0 240/06 धारा 307 भादवि चालानी थाना ट्रान्सपोर्ट नगर मेरठ
- 7.मु0अ0सं0 242/06 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना ट्रान्सपोर्ट नगर मेरठ
- 8.मु0अ0सं0 115/11 धारा 307 भादवि चालानी थाना नौचंदी मेरठ
- 9.मु0अ0सं0 190/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना नौचंदी मेरठ
- 10.मु0अ0सं0 532/06 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना नौचंदी मेरठ
- 11.मु0अ0सं0 232/09 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ
- 12.मु0अ0सं0 71/10 धारा 394/411 भादवि चालानी थाना लिसाडीगेट मेरठ
- 13.मु0अ0सं0 441/04 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना लिसाडीगेट मेरठ
- 14.मु0अ0सं0 302/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस चालानी थाना क्रासिंग पब्लिक गाजियाबाद
- 15.मु0अ0सं0 401/25 धारा 109(1) बीएनएस चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
- 16.मु0अ0सं0 402/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 790 कपिल तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 2514 रणजीत थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2025

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हत्या के प्रयास के मुकदमें में वांछित 01 अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, अवैध नशे के कारोबार जैसे आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.12.2025 की शाम को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा भगवानपुर रोड़, चांदपुर मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी गागलहेड़ी की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार बदमाश पुलिस टीम पर जाने से मारने की नीयत से फायरिंग कर मोटरसाइकिल मोड़कर ग्राम चांदपुर की तरफ भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटर साइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पेड़ की आड़ लेकर पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र ताहिर निवासी गली न0-07 श्यामनगर, मौहल्ला तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश के विरुद्ध जनपद मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर एक्ट, चोरी, आर्म्स एक्ट व लूट जैसे संगीन अपराधों में करीब 01 दर्जन मुकदमें दर्ज हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0 401/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता:-

निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र ताहिर नि0 गली नं0 07 श्यामनगर मौ0 तारापुरी थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ

बरामदगी का विवरण -

01 देशी तमन्चा 315 बोर

01 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

01 बिना नम्बर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल

अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 112/18 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना ब्रहमपुरी मेरठ

2. मु0अ0सं0 265/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना हस्तिनापुर मेरठ

3. मु0अ0सं0 281/22 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना जानी मेरठ
4. मु0अ0सं0 282/22 धारा 201/414/465/471 भादवि चालानी थाना जानी मेरठ
5. मु0अ0सं0 253/18 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना नौचंदी मेरठ
6. मु0अ0सं0 254/18 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना नौचंदी मेरठ
7. मु0अ0सं0 84/23 धारा 34/379 भादवि चालानी थाना सदर बाजार मेरठ
8. मु0अ0सं0 184/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना सदर बाजार मेरठ
9. मु0अ0सं0 363/23 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 चालानी थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर
10. मु0अ0सं0 401/25 धारा 109(1) बीएनएस चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 342 आशीष तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16-12-2025

थाना बड़गांव पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गौकशी के मुकदमें में वांछित 01 गौकशी/ अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर एवं 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलग्न अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.12.2025 की शाम को प्रभारी निरीक्षक बड़गांव मय पुलिस टीम के चन्द्रपुर मजहबता अंडर पास के निकट चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम चन्द्रपुर मजहबता की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, नही रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके वापस भागने लगे, कुछ दूर जाकर मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते की वजह से फिसल कर गिर गयी, पुलिस टीम को नजदीक आते देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान इसरार पुत्र राशिद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। घायल बदमाश थाना बड़गांव का 25000/- रुपये का ईनामी बदमाश भी है व दूसरा बदमाश इलियास पुत्र शरीफ निवासी ग्राम चकवाली थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर अन्धेरे व घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बड़गांव पर पंजीकृत गौकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर एक मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस रंग काला (रजि0 नं0- UP11CK3642) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0-28525 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इसरार पुत्र राशिद निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 देशी तमंचा.315 बोर
- 02 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटर साइकिल स्पेलेन्डर प्लस (रजि0 नं0- UP11CK3642)

गिरफ्तार अभियुक्त इसरार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 231/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बड़गांव, स0पुर
2. मु0अ0सं0 241/25 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना बड़गांव, स0पुर

3. मु0अ0सं0 148/23 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना रामपुर मनि0, स0पुर
4. मु0अ0सं0 318/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनि0, स0पुर
5. मु0अ0सं0 303/24 धारा 109/190/191(2)/191(3)/3(5) बीएनएस व 3/5/8 गोवध अधिनियम व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0, स0पुर
6. मु0अ0सं0 259/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/8 गोवध अधिनियम थाना बडगांव, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
4. हे0कां0 638 अमित कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5. कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 17.12.2025

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08.30 ग्राम स्मैक व 5.40 ग्राम मय पन्नी के कट बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त कग्गा उर्फ याहयाह पुत्र मुस्तकीम निवासी न्यू एरा के सामने उस्मानिया मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर को होजखेडी वाला रास्ता ग्राम भाऊपुर की ओर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कग्गा उर्फ याहयाह उपरोक्त के कब्जे से 08.30 ग्राम स्मैक व 5.40 ग्राम मय पन्नी के कट नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 550/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कग्गा उर्फ याहयाह पुत्र मुस्तकीम निवासी न्यू एरा के सामने उस्मानिया मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 08.30 ग्राम स्मैक व 5.40 ग्राम मय पन्नी के कट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नितीन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. हे0का 031 सुभाष चन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का 1823 श्रवण तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 17.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त
गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **अदनान पुत्र फैसल निवासी ग्राम रसूलपुर मो दानिश कलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को बाबा लाल दास बाड़े के गेट के आगे से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 547/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अदनान पुत्र फैसल निवासी ग्राम रसूलपुर मो दानिश कलोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री निर्मल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 345 फारुख अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 310 विपिन पंवार मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक 17.12.2025

-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 115 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त आदिल पुत्र असगर उर्फ चांद निवासी संजय बिहार थाना मंडी जनपद सहारनपुर हाल निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर उम्र करीब 24 वर्ष को मंडी समिति के खंडहर भवन की ओर से अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 115 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 546/25 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त आदिल उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आदिल पुत्र असगर उर्फ चांद निवासी संजय बिहार थाना मंडी जनपद सहारनपुर हाल निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

➤ 115 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-124/23 धारा 147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-546/25 धारा 8/20 एनडीपीसीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा, चौकी प्रभारी खाताखेडी, कोतवाली मण्डी, सहारनपुर।
2. है0का0 100 राहुल त्यागी कोतवाली मण्डी, सहारनपुर।
3. है0का0 02 कमल कौशिक कोतवाली मण्डी, सहारनपुर।
4. है0का0 521 सुनील राणा कोतवाली मण्डी, सहारनपुर।
5. कां01039 शोएब मिर्जा कोतवाली मण्डी, सहारनपुर।



दिनांक- 17.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना गंगोह मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी गए 19,400/- रुपये नगद, 01 आधार कार्ड की छायाप्रति व घटना मे प्रयुक्त 01 ब्लेड बरामद

घटना का विवरण:-

1. दिनांक 24/11/2025 को वादी श्री सतपाल पुत्र कर्ताराम निवासी ग्राम सालारपूरा थाना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर की लिखित तरहीर बावत अज्ञात महिलाओ द्वारा वादी के थैले में ब्लेड से कट लगाकर कुल 50,000/- रुपये की चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 552/25 धारा 305ए बीएनएस के पंजीकृत किया गया ।
2. दिनांक 09/12/2025 को वादी महेन्द्र कुमार पुत्र रतिराम निवासी ग्राम बजीरपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात चोरो द्वारा वादी का थैला काट कर वादी के थैले से 30 हजार रुपये की नकदी व इरफान पुत्र शौकत निवासी ग्राम धलापडा की जेब से 10 हजार रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 0589/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी आदि अपराधिक घटनाओ की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमों में वांछित 02 शातिर महिला अभियुक्ता 1. रानी पत्नी पतिराज बसोर नि0 बिन्दुल सिंगरौली मध्यप्रदेश हाल नि0 अरशद प्रधान का खेत इब्राहिमपुरा थाना सरसावा स0पुर व 2. मुन्नी पत्नी राम दुलारे नि0 बिन्दुल सिंगरौली मध्यप्रदेश हाल नि0 अरशद प्रधान का खेत इब्राहिमपुरा थाना सरसावा स0पुर को विद्यार्थी तिराहे के पास गंगोह बायपास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ताओं के कब्जे से 19,400/- रुपये नगद व 01 आधार कार्ड की छायाप्रति व घटना मे प्रयुक्त एक ब्लेड बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्ताओ के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओ का नाम व पता:-

1. रानी पत्नी पतिराज बसोर नि0 बिन्दुल सिंगरौली मध्यप्रदेश हाल पता अरशद प्रधान का खेत इब्राहिमपुरा थाना सरसावा स0पुर
2. मुन्नी पत्नी राम दुलारे नि0 बिन्दुल सिंगरौली मध्यप्रदेश हाल पता अरशद प्रधान का खेत इब्राहिमपुरा थाना सरसावा स0पुर

बरामदगी का विवरण

- 19400/- रू० नगद
- 01 आधार कार्ड की छायाप्रति
- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद ब्लेड

अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 517/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. म०उ०नि० खुशबु थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है०का० 1013 राहुल तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. म०है०का० 1179 प्रीती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. म०है०का० 944 कविता थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का० 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक- 17.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 वारंटी/अभियुक्त इसरार पुत्र इरशाद नि0 पठानपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 8079/25 व मु0अ0स0 0271/03 धारा 452/324/323/504/506 भादवि थाना सदर बाजार (मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) नियत तिथि 17.12.2025 को पठानपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता:-

इसरार पुत्र इरशाद निवासी पठानपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना सदर बाजारजनपद सहारनपुर।
2. है0का0 682 सन्दीप कुमार सदर बाजारजनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01
अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चेंकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त रजनीश उर्फ रज्जी जाटव पुत्र बाबूराम निवासी मकान नं0 एच 3 जी 5 बिल्डिंग काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रेलवे पार्क के किनारे पर बने सौ क्वार्टर के खण्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 747/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रजनीश उर्फ रज्जी जाटव पुत्र बाबूराम निवासी मकान नं0 एच 3 जी 5 बिल्डिंग काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 विमल कुमार सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 881 धीरज कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2427 सूरज थाना सदर बाजार सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.12.2025

थाना गागलहेड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई — मिट्टी का अवैध खनन करते हुए 03 ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के कुशल निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है।

□ घटना का विवरण :

दिनांक 17.12.25 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम व राजस्व विभाग की टीम के साथ गश्त एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरौडा के जंगल में कुछ भू-माफिया तत्वों द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मय राजस्व टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुँची। ग्राम हरौडा के जंगल से 03 ट्रैक्टर मय ट्राली जिनमें अवैध मिट्टी भरी हुयी थी को मौके से 03 अदद ट्रैक्टर ट्राली (मिट्टी से भरी हुई) को कब्जे में लेकर सीज किया। सीज वाहनों को थाना परिसर में लाकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

□ बरामदगी का विवरण :

03 अदद ट्रैक्टर-ट्राली — जिनमें अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी भरी हुई थी।

□ ♂ □ बरामदगी एवं कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम :

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार, थाना गागलहेड़ी
2. उपनिरीक्षक श्री राकेश शर्मा, थाना गागलहेड़ी
3. हेड कांस्टेबल इरशाद खा (591) थाना गागलहेड़ी,
4. हेड कांस्टेबल नरदेव (398) थाना गागलहेड़ी,
5. हेड कांस्टेबल राकेश राणा (716) थाना गागलहेड़ी,

□ कानूनी कार्यवाही :

अवैध खनन एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। बरामद वाहनों के स्वामित्व व सम्बंधित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, ताकि दोषियों के विरुद्ध खनिज (नियम एवं नियंत्रण) अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर का निर्देश :

“अवैध खनन जनहित, पर्यावरण एवं सरकारी राजस्व — तीनों के लिए हानिकारक है। जनपद में किसी भी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।”